



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय
MINISTRY OF RAILWAYS
पटियाला रेल इंजन कारखाना
PATIALA LOCOMOTIVE WORKS
(Formerly DIESEL LOCO MODERNIZATION WORKS)
पटियाला -147003, भारत

फोन/Phone:0175-2396702

“NATION-WIDE PENSION ADALAT”

In compliance with Railway Board's Letter No. E(W)2023/PA/2 dated 03.05.2023, Nation-Wide Pension Adalat through Video Conferencing will be held on 17.05.2023. The grievances submitted by the Pensioners/Family Pensioners of PLW/Patiala alongwith related papers available with them will be received on email-ID mittar.verma@gov.in upto 13.05.2023 till 17.00 hrs. The link will be shared with the representationist by 09.00 hrs. on 17.05.2023. Only those grievances shall be taken up which fall within the extant Pension policy/guidelines.

The subject matter of the representation should be connected with the payment of settlement dues of following nature:-

1. PF
2. NPS
3. DCRG
4. Leave Encashment
5. Commutation of Pension
6. Pension/Family Pension
7. RENGIS


Dy.Chief Personnel Officer



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय
MINISTRY OF RAILWAYS
पटियाला रेल इंजन कारखाना
PATIALA LOCOMOTIVE WORKS
(Formerly DIESEL LOCO MODERNIZATION WORKS)
पटियाला -147003, भारत


फोन/Phone:0175-2396702

“राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत”

रेलवे बोर्ड के पत्र सं.- E(W)2023/PA/2 दिनांक 03.05.2023 के तहत दिनांक 17.05.2023 को Video Conferencing के माध्यम से राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। पटियाला रेल इंजन कारखाना/पटियाला के पेंशनर/परिवार पेंशनर अपनी शिकायतें उनके पास उपलब्ध संबंधित कागजातों के साथ mittar.verma@gov.in पर दिनांक 13.05.2023 तक 17.00 बजे तक email करके भेज सकते हैं। इस राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत के लिए आवेदकों को Video Conferencing हेतु लिंक दिनांक 17.05.2023 को सुबह 09.00 बजे भेज दिया जाएगा और केवल उन्हीं शिकायतों को लिया जाएगा जो मौजूदा पेंशन नीति/दिशानिर्देशों के अंतर्गत आती हैं।

शिकायतों का विषय निम्नलिखित श्रेणी के सेट्टलमेंट देय राशि के भुगतान की अदायगी से संबंधित होना चाहिए :-

1. पी एफ
2. एन.पी.एस.
3. डी सी आर जी
4. लीव इंकेशमेंट
5. पेंशन का कम्प्यूटेशन
6. पेंशन/परिवार पेंशन
7. रेल कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना


उप मुख्य कार्यालय अधिकारी



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय
MINISTRY OF RAILWAYS
पटियाला रेल इंजन कारखाना
PATIALA LOCOMOTIVE WORKS
(Formerly DIESEL LOCO MODERNIZATION WORKS)
पटियाला -147003, भारत

फोन/Phone:0175-2396702

“देस विआपी पैन्सन अदालत”

रेलवे बोरड दे पत्र नं: E(W)2023/PA/2 मिति 17.05.2023 दे उगित देस विआपी पैन्सन अदालत दा आयेजन कीता जावेगा। पी.ओ.डबल्यू/पटियाला दे पैन्सनर/परिवारक पैन्सनर आपणीआं शिकायतं सभयित कारजातां दे नाल mittar.verma@gov.in ते 13.05.2023 तंक 17.00 वजे तंक email करके भेज सकदे हन। इस देस विआपी पैन्सन अदालत लयी पैन्सनर/परिवारक पैन्सनर नुं लिंक मिति 17.05.2023 नुं सवेर 09.00 वजे तंक भेज दिता जावेगा अते सिरफ उह शिकायतं ही लयीआं जाखगीआं जे मोजुदा पैन्सन नीती/दिसा-निरदेसां दे अंदर आउंटीआं हन।

शिकायतं दा विसा हेठ लिखे Settlement dues दे भुगतान नाल सभयित हेहा चाहीदा है :-

1. पी. अैफ.
2. अैठ पी अैस
3. डी.सी.आर.जी.
4. लीव इन्कैसमेंट
5. पेन्सन दी कमुटेसन
6. पेन्सन /परिवार पेन्सन
7. रेल करमचारी गरुप बीमा येजना


डिपटी चीफ परसनल अफसर